निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 195/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कल्याण पुत्र स्व॰ श्री लालाराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री रामलाल
3. श्रीमती पांची पत्नी स्व॰ श्री लालाराम
4. राम खिलाडी पुत्र स्व॰ श्री लालाराम
5. रामदेव पुत्र दीपा
6. श्रीमती मन्नी देवी पत्नी स्व॰ श्री प्रभू
7. नन्दाराम पुत्र स्व॰ श्री प्रभू
8. कमलेश पुत्र स्व॰ प्रभू नाबालिग संरक्षिका माता श्रीमती मन्नी देवी समस्त जातियान मीणा, निवासी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर ।
2. संदीप पुत्र श्री बाबूलाल
3. ग्यारसी पुत्री श्री बाबूलाल
4. श्रीमती ममता पुत्री श्री बाबूलाल
5. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री पुखराज
6. मनीषा पुत्री श्री पुखराज
7. मयंक पुत्र श्री पुखराज
8. काली देवी पत्नी श्री जगदीश
9. छोटी लाल पुत्र श्री जगदीश
10. जयनाराराण पुत्र श्री जगदीश
11. रमेश पुत्र श्री जगदीश
12. सोनी देवी पुत्री श्री जगदीश
13. मीरा देवी पुत्री श्री शंकर लाल
14. राजेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल
15. सीताराम पुत्र श्री शंकर लाल
16. हीरा देवी पुत्री श्री शंकर लाल
17. नीरू देवी पुत्री शंकर लाल
18. बदरी पुत्र श्री काना
19. मोहन पुत्र श्री काना (मृतक)
    - 19/1. श्रीमती मनफूली देवी पत्नी स्व॰ श्री मोहन
    - 19/2 लड्डू पुत्री स्व॰ श्री मोहन
    - 19/3. अशोक मीणा पुत्र स्व॰ श्री मोहन
    - 19/4 रामजीलाल मीणा पुत्र स्व॰ श्री मोहन
20. श्रीमती भौरी देवी पत्नी श्री रामगोपाल
21. आशा पुत्री रामगोपाल

जिला कलक्टर
जयपुर

22. दिनेश पुत्र श्री रामगोपाल
23. मुकेश पुत्र श्री रामगोपाल
24. संतोष पुत्र श्री रामगोपाल
25. दिपिका पुत्री श्री रामगोपाल
26. श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री बाबू लाल
27. आशीष पुत्र श्री बाबूलाल
28. समस्त जातियान मीणा, निवासियान ग्राम नागल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
29. उप पंजीयक, कार्यालय आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन निगरानी संख्या 07/2022 व उनवानी कल्याण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री एन॰ के॰ सैनी अधिवक्ता अप्राथी संख्या 2 लगायत 27 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.10.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष प्रकरण संख्या 07/2022 व उनवानी कल्याण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 27 करी ओर से श्री एन॰ के॰ सैनी अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जवाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रभावशाली लोगों के सम्पर्क में है, जिनके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को अपने प्रभाव में कर रखा है और नाजायज तरीके से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का फैसला करवा कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से हिस्सा अधिक लेना चाहते है जो गलत है। अप्रार्थीगण सरे आम धमकी देते है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हमारे खास आदमी है और हम हमारी इच्छा से ही उक्त मुकद्दमें का फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के प्रभाव में है और उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के कहने से ही नजदीक तारीख पेशियां दी जा रही है और तामील में भी 5–10 दिन की तारीख देकर मुकद्दमें का निस्तारण आनन फानन में करना चाहते है। प्रार्थीगण को अपनी सुविधा अनुसार तारीख पेशी नहीं देते है और प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं करना चाहते

जिला कलक्टर
जयपुर

है। कानूनी प्रकिया अपनाये बिना ही अपील का फैसला करवाना चाहते है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नाजायज तरीके से अप्रार्थीगण के दबाव में आकर प्रार्थीगण के विरूद्ध फैसला करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दबाव बना रखा है। प्रार्थीगण की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपने उक्त मुकदमें को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहते है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण कराना नहीं चाहते है। इसलिए लम्बी तारीख लेने की कोशीश करते रहते है और निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानानतरित किया जाता है तो कोई एतराज नही है

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को भी असुविधा नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2022 व उनवानी कल्याण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में स्थानान्तरित किया जाता है।

9. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ व अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर